



RBI ने 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाया

प्रलिस के लयः

[भारतीय रज़रव बैंक \(RBI\)](#), [वमिद्रीकरण](#), [भरषटाचार](#), [सकिका नरिमाण अधनियिम, 2011](#), [RBI अधनियिम, 1934](#), [वतित अधनियिम, 2017](#)

मेन्स के लयः

RBI की क्लीन नोट पॉलिसी, 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का प्रभाव, भारत में कानूनी नविदिा के प्रकार, वमिद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

[भारतीय रज़रव बैंक \(Reserve Bank of India- RBI\)](#) ने 19 मई, 2023 को घोषणा की कविह 2000 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस ले लेगा ।

- हालाँकि भौजूदा नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे । RBI ने एक उदार समय-सीमा प्रदान की है, जसिसेव्यक्ता 30 सतिंबर, 2023 तक नोट जमा या वनियम कर सकते हैं ।
- यह कदम RBI की क्लीन नोट पॉलिसी का हसिसा है, जसिका उद्देश्य जनता को बेहतर सुरक्षा सुवधियों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले करेंसी नोट एवं सकिके प्रदान करना है

RBI का 2,000 रुपए के नोट को प्रचलन से हटाने का कारण:

- 2000 रुपए के नोट की नकिसी:
 - RBI के अनुसार, 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से हटाना उसके मुद्रा प्रबंधन कार्यों का हसिसा है ।
 - [वमिद्रीकरण](#) के दौरान 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने के बाद तत्काल मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष 2016 में 2000 रुपए के नोट का प्रचलन शुरू कया गया था ।
 - उपलब्ध अन्य मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ वर्ष 2018-19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी, क्योंकि मुद्रा की आवश्यकता का प्रारंभिक उद्देश्य प्राप्त कया जा चुका था ।
 - 31 मार्च, 2023 तक प्रचलन में शामिल 2000 रुपए के नोटों का कुल मूल्य घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो प्रचलन में कुल नोटों का केवल 10.8% है ।
 - अंतिम बार भारत ने नवंबर 2016 में वमिद्रीकरण कया था, जब सरकार ने जाली नोटों को चलन से हटाने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोट वापस ले लये थे ।
 - इस कदम ने रातोंरात अर्थव्यवस्था की 86% मूल्य मुद्रा को प्रचलन से हटा दिया था ।
- 2000 रुपए के नोटों को बदलना और जमा करना:
 - 2000 रुपए के नोटों को बदलने और जमा करने की सीमा एक समय में 20,000 रुपए नरिधारति की गई है । गैर-खाताधारक भी इन नोटों को कसिी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं ।
 - [नो थोर कसटमर \(KYC\) अरथात् \(अपने गराहक को जानयि\)](#) मानदंडों और अन्य लागू नयिमों के अनुपालन के अधीन बनिा कसिी सीमा के ये नोट बैंक खातों में जमा कया जा सकते हैं ।
- प्रभाव:
 - RBI गवरनर ने कहा कि 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर "बहुत मामूली" होगा क्योंकि प्रचलति कुल मुद्रा में इनका हसिसा केवल 10.8 प्रतिशत है ।
 - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से "सामान्य जीवन या अर्थव्यवस्था" में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अन्य मूल्यवर्गों में बैंक नोटों का पर्याप्त भंडार है ।
 - कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उच्च मूल्यवर्ग के नोट वापस लेना "वमिद्रीकरण का एक उचित कदम" है और उच्च ऋण वृद्धि के समय बैंक जमा को बढ़ावा दे सकता है ।
 - इन नोटों को प्रचलन से हटाए जाने से जमा दर में वृद्धि पर दबाव कम हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक

ब्याज दरों में कमी आ सकती है एवं इससे [काले धन](#) और [भ्रष्टाचार](#) पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

RBI की क्लीन नोट पॉलिसी क्या है?

- क्लीन नोट पॉलिसी नागरिकों को मुद्रा नोट और सक्कि के प्रदान करने पर केंद्रति है, जिसमें खराब, गंदे या पुराने नोटों को प्रचलन से वापस लेते समय सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाया जाता है।
 - 'खराब नोट' का आशय ऐसे नोट से है जो सामान्य लेन-देन के कारण गंदा या कषतगिरस्त हो गया है और इसके अंतर्गत एक साथ चपिके हुए फटे नोट भी शामिल हैं जिसमें फटे हुए नोट के टुकड़े एक ही नोट के होते हैं और बिना कसी आवश्यक वशिषता के पूरे नोट को आकर देते हैं।
- वर्ष 2005 के बाद छपे बैंक नोटों की तुलना में कम सुरक्षा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 से पहले जारी किये गए सभी बैंक नोटों को RBI ने वापस ले लिया था। हालाँकि ये पुराने नोट अभी भी कानूनी नविदि हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखति करने के लिये वापस ले लिये गए हैं।

भारत में वमिद्रीकरण:

- परचिय:
 - वमिद्रीकरण कानूनी मुद्रा के रूप में मौजूद एक मुद्रा इकाई को प्रचलन से बाहर करने का कार्य है। मुद्रा के वर्तमान रूप या रूपों को प्रचलन से वापस ले लिया जाता है और सेवानवित्त कर दिया जाता है, जसि सामान्यतः नए नोटों या सक्कि के परविरतति कर दिया जाता है।
- भारत में वैधता:
 - भारत में वमिद्रीकरण का कानूनी आधार भारतीय रज़िर्व बैंक अधनियम, 1934 की धारा 26(2) है, जो RBI की सफिरशि पर केंद्र सरकार को आधिकारकि राजपत्र में अधसिचन द्वाारा बैंक नोटों की कसी भी शृंखला को कानूनी नविदि नहीं घोषति करने का अधिकार देती है।
 - भारत की वभिन्नि अदालतों में दायर कई याचकिओं में वमिद्रीकरण की वैधता को चुनौती दी गई थी।
 - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने वमिद्रीकरण को वैध ठहराया और कहा कि 500 रुपए तथा 1,000 रुपए के करेंसी नोटों का वमिद्रीकरण अनुपातकिता के परीकषण को सुनशिचति करता है।
 - अनुपातकिता का परीकषण यह दर्शाता है कि कया वमिद्रीकरण के लाभ लागत से अधिक हैं।
 - अनुपातकिता का परीकषण सुनशिचति करने हेतु वमिद्रीकरण के लाभ पर्याप्त रूप से महत्त्वपूर्ण होने चाहिये जो इसके कारण होने वाली लागतों और व्यवधानों को उचति ठहरा सकें।
- लाभ:
 - मुद्रा का स्थरिकरण: वमिद्रीकरण का उपयोग मुद्रा को स्थरि करने और मुद्रास्फीति से लडने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, जालसाजी पर अंकुश लगाने, बाज़ारों तक पहुँच बनाने तथा अनौपचारकि आर्थकि गतविधियों को अधिक पारदर्शति एवं काले और ग्रे बाज़ारों से दूर करने के लिये एक उपकरण के रूप में उपयोग कया गया है।
 - काले धन पर अंकुश लगाना: सरकार ने तर्क दिया कि वमिद्रीकरण कर चोरी करने वालों, भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों और आतंकवादियों द्वाारा नकद के रूप में रखे गए काले धन या बेहसिब आय को उजागर कर देगा।
 - इससे सरकार के कर आधार और राजस्व में वृद्धि होगी और देश में भ्रष्टाचार तथा अपराध कम होंगे।
 - डजिटलीकरण को बढ़ावा देता है: यह वाणजियकि लेन-देन के डजिटलीकरण को भी प्रोत्साहति करता है, अर्थव्यवस्था को औपचारकि बनाता है तथा इस प्रकार सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करता है। यह भुगतान प्रणाली में पारदर्शति, दक्षता के साथ ही सुविधाजनक है एवं मुद्रा की छपाई और प्रबंधन की लागत को कम करता है।
 - अर्थव्यवस्था के औपचारकिकरण का अर्थ है कंपनियों को सरकार के नयामक शासन के अंतर्गत लाने के साथ वनिर्माण और आयकर से संबंधति कानूनों के अधीन करना।
- कमियाँ:
 - अस्थायी मंदी: वमिद्रीकरण के दौरान रूपांतरण प्रक्रया आर्थकि गतविधियों में अस्थायी मंदी का कारण बन सकती है।
 - पुरानी मुद्रा की एकाएक वापसी और नई मुद्रा की सीमति उपलब्धता के कारण होने वाला व्यवधान व्यापार लेन-देन, उपभोक्ता खर्च और समग्र आर्थकि उत्पादकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
 - प्रशासनकि लागत: वमिद्रीकरण को लागू करने में पर्याप्त प्रशासनकि लागतें शामिल हैं। नए करेंसी नोटों की छपाई, ATMs की पुनर्गणना और परविरतनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना महँगा हो सकता है।
 - ये लागतें आमतौर पर सरकार द्वाारा वहन की जाती हैं, जो सार्वजनकि वित्त को प्रभावति कर सकती हैं तथा अन्य आवश्यक कषेत्रों या सार्वजनकि कल्याण कार्यक्रमों से संसाधनों को हटा सकती हैं।
 - नकदी संचालति कषेत्रों पर प्रभाव: खुदरा, आतथिय और छोटे व्यवसायों जैसे नकदी संचालति कषेत्रों को वमिद्रीकरण के दौरान अधिक हानि हो सकती है।
 - छोटे व्यवसाय, वशिष रूप से जो कम लाभ अधशिष पर काम कर रहे हैं, नई भुगतान प्रणालियों के अनुकूल होने के लिये संघर्ष कर सकते हैं जसिके परणामस्वरूप बकिरी कम हो सकती है, छँटनी हो सकती है और अत्यधिक मामलों में व्यापार बंद हो सकता है।

भारत में कानूनी नविदि:

- **परचय:**
 - एक कानूनी नविदि मुद्रा का एक रूप है जसि कानून द्वारा ऋण या दायित्वों के नरिवहन के लयि स्वीकार्य साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
 - RBI यह नरिधारति करने के लयि ज़मिमेदार है कलिेन-देन के लयि मुद्रा के कसि रूप को वैध माना जाए।
 - इसमें [सकिका अधनियिम, 2011](#) की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कयि गए सकिके और RBI अधनियिम, 1934 की धारा 26 के तहत [भारतीय रज़िरव बैंक](#) द्वारा जारी कयि गए बैंक नोट शामिल हैं।
 - सरकार 1,000 रुपए तक के सभी सकिके और 1 रुपए का नोट जारी करती है।
 - RBI 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य करेंसी नोट जारी करता है।
- **प्रकार:**
 - कानूनी नविदि प्रकृत में सीमति या असीमति हो सकती है।
 - भारत में सकिके सीमति वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। एक रुपए के बराबर या उससे अधिक मूल्यवर्ग के सकिकों को एक हजार रुपए तक की राश के लयि कानूनी नविदि के रूप में इस्तेमाल कयि जा सकता है।
 - इसके अतरिकित पचास पैसे के सकिकों को दस रुपए तक की राश के लयि कानूनी नविदि के रूप में इस्तेमाल कयि जा सकता है।
 - बैंक नोट उन पर बताई गई कसि भी राश के लयि असीमति कानूनी नविदि के रूप में कार्य करते हैं।
- हालाँकि काले धन पर अंकुश लगाने के लयि [वतित अधनियिम 2017](#) द्वारा कयि गए उपायों के परणामस्वरूप [आयकर अधनियिम](#) में एक नई धारा 269ST जोड़ी गई थी।
- एक नकद लेन-देन धारा 269ST द्वारा प्रतबंधित था और प्रतदिनि केवल 2 लाख रुपए तक के मूल्य की अनुमत थी।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/rbi-to-withdraw-rs-2,000-notes-from-circulation>

